

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 37 (आर ई 2012)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक: 17 दिसम्बर, 2012

विषय: उद्गम का प्रमाण-पत्र - गैर तरजीही जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों को सूचीबद्ध करना।

विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा उद्गम का प्रमाण पत्र-गैर तरजीही जारी करने के लिए निम्नलिखित दो एजेंसियों को प्राधिकृत करते हैं-

- (i) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स (सीडीओएस),
एसपी-8, सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र,
फेज (IV), जयपुर (राजस्थान)-302022
टेली: + 91-141-5122609, 5185054
फैक्स: + 91-141-5122610
ई-मेल: info@cdos-india.com
वेबसाइट: www.cdos-india.com
- (ii) ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज,
84/2, साउथ राजा स्ट्रीट,
तूतिकोरिन-628001
टेली: 0461-2324495
फैक्स: 0461-2323395
ई-मेल: aicci82@gmail.com

2. तदनुसार, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र), 2009-14 के परिशिष्ट-4ग (उद्गम का प्रमाण पत्र-गैर तरजीही जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची) के क्रम सं. 5 (राजस्थान) और क्रम सं. 15 (तमिलनाडु) पर उपरोक्त एजेंसियों के नाम जोड़े गए हैं।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

उद्गम का प्रमाण पत्र - गैर तरजीही जारी करने के लिए दो नई एजेंसियों को प्राधिकृत किया गया है।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार

ई-मेल: dgft@nic.in

(फा.सं.01/93/180/16/एएम-13/पीसी-2(बी) से जारी)